

**कार्यालय
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें
उत्तराखण्ड देहरादून**

संख्या: 10679-56/जी-394/2021-22/अधि0

दिनांक 24 मार्च, 2022

-:आदेश :-

उत्तराखण्ड शासन, आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या-3444/XL-1/2021-85/2021 दिनांक 30 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा नियमावली, 2021" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जिला चिकित्सालयों में स्थापित आयुष विंगों में रिक्त आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दिनांक 16.03.2022 को आयोजित प्रमाण पत्रों की जांच/काउन्सिलिंग के उपरान्त चयन समिति की संस्तुति के अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेबल-04 वेतनमान रू0 25500-81100 में अस्थायी/नियमित रूप से उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालयों में अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पत्राचार का पता	तैनाती स्थान
1	वैकटेश्वर पैन्चूली	श्री वेदप्रकाश	ग्राम चिन्यालीसेरा, पो0आँ0 सेरा बगवान, तहसील प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल 249165	जिला चिकित्सालय आयुष विंग अल्मोडा
2	शेखर भट्ट	श्री लखन लाल	ग्राम मोतीपुर, निकट महेन्द्र चौक, पो0आँ0 अम्बीवाला प्रेमनगर देहरादून	जिला चिकित्सालय आयुष विंग नैनीताल
3	कु0 निशा भट्ट	श्री लखन लाल	ग्राम मोतीपुर, निकट महेन्द्र चौक, पो0आँ0 अम्बीवाला प्रेमनगर देहरादून	जिला चिकित्सालय आयुष विंग हरिद्वार
4	विनोद सिंह राणा	श्री दिलवीर सिंह राणा	ग्राम मोरगी, पो0 श्रीकोट, तहसील चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी-249152	जिला चिकित्सालय आयुष विंग देहरादून
5	कविता	श्री परशुराम	महालक्ष्मीपुरम लेन नम्बर-1 ए, मोथरोवाला, देहरादून-248001	जिला चिकित्सालय आयुष विंग ऊधमसिंहनगर
6	विजय डोभाल	श्री जिया राम	ग्राम धारी, पो0 कलोगी, तहसील बड़कोट, उत्तरकाशी	जिला चिकित्सालय आयुष विंग उत्तरकाशी
7	अखिलेश भट्ट	श्री सम्पूर्णानन्द भट्ट	भट्ट भवन, फेस-1, ले0नं0-04, भद्रकाली इनक्लेव मन्दिर, अपर तुनवाला, देहरादून-248001	जिला चिकित्सालय आयुष विंग चमोली
8	वैशाली जुयाल	श्री नरेन्द्र प्रसाद	206 वाणी विहार गली नं0 10 अधोईवाला रायपुर रोड़ देहरादून	जिला चिकित्सालय आयुष विंग टिहरी
9	अखिलेश प्रसाद	श्री माया राम	ग्राम जमनीपुर तप्पड़, हरबटपुर, विकासनगर देहरादून	जिला चिकित्सालय आयुष विंग रूद्रप्रयाग
10	जसवंत सिंह	श्री शेर सिंह चौहान	142/1 धर्मपुर, देहरादून	जिला चिकित्सालय आयुष विंग बागेश्वर

11	गीता देवी	श्री शेर सिंह	फेस-1 डी 7, लेन नं0 3 देव पुरम, लोअर रायपुर देहरादून -248005	जिला चिकित्सालय आयुष विंग पौड़ी
12	बाल कुमार	श्री जयवीर लाल	70/57 आराघर देहरादून पिन-248001	जिला चिकित्सालय आयुष विंग चम्पावत
13	बसंत कुमार	श्री महेन्द्र कुमार	जगजीतपुर (निकट रविदास मन्दिर), डाकघर कनखल, हरिद्वार-249408	जिला चिकित्सालय आयुष विंग पिथौरागढ़

यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है तथा किसी भी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। नियुक्त अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जनपद के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के सम्मुख दिनांक 08.04.2022 तक योगदान सूचना प्रस्तुत करनी होगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

1. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
2. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जो सक्रिय सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो किन्तु उनके सम्बन्धी न हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
3. शैक्षिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
4. जन्म तिथि प्रमाण पत्र।
5. भारतीय चिकित्सा परिषद् में पंजीयन प्रमाण पत्र।
6. एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा पत्र।
7. चल अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।

(प्रो0 (डा0) अरुण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को इस निर्देश के साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराते हुये अभ्यर्थियों के अभिलखों का सम्बन्धित शिक्षा परिषद्/बोर्ड से सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उल्लिखित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र भी प्राप्त करलें कि यदि उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र असत्य/भर्जी पाये जाते हैं तो तत्काल सेवा समाप्त करते हुये सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर दी जायेगी।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
7. नोटिस बोर्ड, आयुर्वेद निदेशालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

(प्रो0 (डा0) अरुण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक